प्रेस विज्ञप्तिः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–09 सहारनपुर द्वारा अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 10/11.05.1995 को वादी श्री अजीम खान पुत्र श्री शकूरखान नि0 संसारपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर के भतीजे अतीक उर्फ पप्पू पुत्र सलीम उम्र 25 वर्ष की हत्या अभियुक्तगण 1. रियाज पुत्र नियाज मौहम्मद नि0 खिडका भटकव्वा थाना बेहट 2.मशकूर पुत्र महफूज 3.नासिर अली उर्फ खान पुत्र इरशाद 4. आजम इलाही पुत्र शमशाद इलाही 5. राहत इलाही पुत्र शमशाद इलाही 6. नौशाद पुत्र इरशाद 7. खुर्शीद पुत्र अनवार इलाही नि0 ग्राम संसारपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर द्वारा एक राय होकर तेज धारदार हथियारो से लैस होकर गला काटकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0स0 62/1995 धारा 147/148/302 भादवि में थाना बेहट पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग सत्र परीक्षण सं0 676/1999 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–9 स0पुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट तथा थाना बेहट के द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–09 स0पुर द्वारा आज दिनांक 12.10.2021 को अभियुक्तगण रियाज आदि 07 नफर उपरोक्त को मु0अ0स0 62/1995 धारा 147/148/302 भादवि में दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 12/10/21 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में वाछित/वारन्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 04/10/2021 को ग्राम साल्हापुर मे युवक की गोली मारकर की गयी हत्या के संबंध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 416/2021 धारा 302 भादवि दर्ज है जिसकी विवेचना प्र0नि0 द्वारा की गयी विवेचना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त मे नामजद अभि0 प्रदीप पुत्र नत्थुराम निवासी साल्हापुर व प्रकाश मे आए अभि0 प्रशान्त पुत्र रणवीर निवासी साल्हापुर को दिनांक 11/10/2021 को गिरफ्तार किया गया है अभि0 प्रदीप उपरोक्त की निशादेही पर हत्या मे प्रयुक्त (आलाकत्ल) तमंचा देशी 315 बोर मय खोखा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया जिसके संबंध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 425/2021 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 बनाम प्रदीप उपरोक्त पंजीकृत किया गया है अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है |

अभि0गण का नाम व पताः–

1. प्रदीप पुत्र नत्थुराम नि0 ग्राम साल्हापुर थाना नकुड सहारनपुर
2. प्रशान्त पुत्र रणवीर निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड सहारनपुर

बरामदगीः

01 तमंचा देशी व 01 खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्र0नि0 श्री हृदय नारायण सिंह
2. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार
3. है0का0 602 प्रभात
4. का0 363 राहुल
5. का0 1904 मोनित राणा

प्रेस नोट दिनांक 12-10-2021

कृप्या अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के आदेशानुसार गौकशो के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में श्री राजेश कुमार (अपर पुलिस अधीक्षक नगर) व श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी (क्षेत्राधिकारी महोदय नगर द्वितीय)के निर्देशन में सन्तोष कुमार त्यागी कुशल प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के द्वारा थाना हाजा क्षेत्र में गौकशो के विरूध्द चलाये जा रहें अभियान के क्रम में थाना हाजा के शातिर अपराधी गौकश अब्दुल वहाब उर्फ लोटन पुत्र निसार निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना को0देहात सहारनपुर के जमानतियो के द्वारा थाना हाजा के टॉप-10 अपराधी अब्दुल वहाब उर्फ लोटन पुत्र निसार निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना को0देहात सहारनपुर की जमानत लेने से इन्कार किया जिसके क्रम में मा0 न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.10.2021 को अभि0 अब्दुल वहाब उर्फ लोटन पुत्र निसार निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना को0देहात सहारनपुर की मु0अ0स0-375/2009 धारा-3/5/8 सीएस एक्ट थाना को0देहात में जमानत निरस्त की गयी। अभि0 अब्दुल वहाब उर्फ लोटन पुत्र निसार निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना को0देहात सहारनपुर थाना हाजा का टॉप-10 एंव हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं जिसके विरूध्द थाना को0देहात एवं जनपद के अन्य थानो में आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।अभि0 अब्दुल वहाब उर्फ लोटन पुत्र निसार निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना को0देहात सहारनपुर का आपराधिक इतिहास निम्नवत हैं।

- मु0अ0स0-232/2021 धारा-3/5/8 सीएस एक्ट थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0स0-249/2021 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0स0-707/18 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना कु0शैर जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0स0-706/18 धारा-5/8 सीएस एक्ट थाना कु0शैर जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0स0-71/2018 धारा-3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 फशु क्रुता एक्ट सरसावा सहारनपुर
- मु0अ0स0-364/2010 धारा-3/5/8 सीएस एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर।
- मु0अ0स0-606/2009 धारा-18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर।
- मु0अ0स0-604/2009 धारा-401 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- मु0अ0स0-375/2009 धारा-3/5/8 सीएस एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 12.10.2021 थाना नागल जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेश निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी देवबन्द महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारन्टियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री बीनू चौधरी थानाध्यक्ष थाना नागल के कुशल नेतृत्व मे थाना नागल पुलिस द्वारा दिनांक 11.10.2021 को ग्राम पाण्डौली रोड रेलवे फाटक के पास से थाना हाजा से पूर्व मे गैगंस्टर एंव गौकशी सहित करीब दर्जनो मुकदमो मे जेल गये शातिर अपराधी फरमान उर्फ बिल्ला पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर को एक संदिग्ध चोरी की मोटर साईकिल व आधा किलो नशीला पदार्थ चरस सहित गिरफ्तार किया गया। थाना नागल पुलिस द्वारा अपराधियो के विरूद्ध की जा रही कठोर कार्यवाही से जँहा क्षेत्र की जनता राहत की सांस ले रही है वही अपराधी थाना क्षेत्र छोडने को मजबूर है अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता-

फरमान उर्फ बिल्ला पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1-उ0नि0 श्री रोबिन थाना नागल सहारनपुर

2-है0का0 556 राजीव पवार थाना नागल सहारनपुर

3-है0का0 521 सुनील राणा नागल सहारनपुर

4-चालक होशियार सिह मय गाडी सरकारी

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0 अ0 सं0 83/09 धारा 379IPC नागल सहारनपुर
2. मु0 अ0 सं0 9711 धारा 3/5/8 CS ACT व 3/4 पशु क्रुरता अधि0 नागल सहारनपुर
3. मु0 अ0 सं0 284/09 धारा 3/5/8 CS ACT व 3/4 नागल सहारनपुर
4. मु0 अ0 सं0 53/13 धारा 3/5/8 CS ACT व 3/4 पशु क्रुरता अधि0 सदर बाजार सहारनपुर
5. मु0 अ0 सं0 209/16 धारा 3/5/8 CS ACT व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 नागल सहारनपुर
6. मु0 अ0 सं0 326/16 धारा 174A IPC नागल सहारनपुर
7. मु0 अ0 सं0 68/17 धारा 3/5/8 CS ACT व 3/11 पशु क्रुरता अधि0   नागल सहारनपुर
8. मु0 अ0 सं0 77/20 धारा 3/5/8 CS ACT नागल सहारनपुर
9. मु0 अ0 सं0 115/20 धारा 307/414 IPC नागल सहारनपुर
10. मु0 अ0 सं0 126/20 धारा 3/5/8 CS ACT नागल सहारनपुर
11. मु0 अ0 सं0 173/20 धारा 2/3 गैंगस्टर ACT   नागल सहारनपुर
12. मु0अ0स0 213/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नागल सहारनपुर
13. मु0अ0स0 314/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना नागल सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 12—10—2021

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध स्मैक का परिवहन करते समय 02 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 11—10—2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा ग्राम बाढी माजरा से अभि0 1—संजीव पुत्र राम सिंह 2—रविन्द्र पुत्र अमरनाथ निवासीगण ग्राम बियाना थाना इन्द्री करनाल हरियाणा को मोटर साइकिल नं0 एचआर 75 ए—0306 से 10 ग्राम स्मैक का परिवहन करते समय गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगाह पर मु0अ0सं0 499/21 धारा 8/21/60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 11—10—2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा चौकी धलापड़ा से अभि0 1—अरशद पुत्र सादीन उर्फ सादा 2—मन्वर पुत्र नकीम निवासीगण ग्राम गन्दर थाना कैराना, शामली को 02 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 500,501/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीड़िया सेल
जनपद सहारनपुर।